

	Vice-President	Bhim Singh	Khim Singh	District Almora Village- Baburiya Nayal, Post - Dhaulchhina, Distt-Almora	Business	12-FEB-1968	8937928361	488252848677	Life Time	N
3	Secretary	Pushpa Mahara	Vinod Mahara	Kalaun, Kanchula, Post Dhaulchhina, Distt-Almora	Teacher	13-SEP-1978	8477854633	383348150632	Life Time	N
4	Treasurer	Uma Singh	Harendra Singh	E D-427, Sector- Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh	Business	01-APR-1982	9169248613	614420204638	Life Time	N
5	Member	Ramesh Chandra Chatt	Sadanand	Mangalta, Dungan Lekh, Almora	Retired	08-NOV-1955	7248071543	420374806449	Life Time	N
6	Member	Ram Singh Bhakuni	Late Gusai Singh	Post Ranidhara Distt Almora	Business	01-JAN-1951	9412976828	372879595806	Life Time	N
7	Member	Dhirendra Singh Mehra	Jagat Singh Mehra	Gair Valshall Bithoriya No 1 Post Haripur Nayak Haldwani Distt Nainital	Business	01-JAN-1985	9410907985	408725364895	Life Time	N

दिनांक-21-Nov-2023

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

सचिव, एवं

पुराना नियमावली

1-आवेदन पत्र संख्या:

KAL0149

2-संस्था का नाम (हिंदी में):

पार्वती शिक्षण एवं समाज सेवा समिति

3-संस्था का नाम (अंग्रेजी में):

Parvati Shikshan Evam Samaj Seva Samiti

4-संस्था का पता:

R VILLAGE DHAULCHHINA POST DHAULCHHINA TEHSIL AND DISTT ALMORA Almora

5-कार्यक्षेत्र:

State

6-सदस्यता तथा सदस्य की समाप्ति

SNo	Membership	Fee(Rs)	Minimum Qualification	other Criteria	Other Termination Condition
1	आजीवन	505	हाई स्कूल		

7-सदस्यता तथा सदस्य की समाप्ति - निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्ति की जा सकती है

SNo	Common Termination Condition
1	तब समप के लिए अनुपस्थित
2	संस्था विरोधी कार्य करने पर
3	दिवालिगा होने पर
4	न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
5	मृत्यु हो जाने पर
6	अनिर्णित
7	पागलपन हो जाने पर
8	सदस्यता शुल्क न देने पर
9	मेडिकली अनफिट
10	त्याग पत्र देने पर

दिनांक-21-Nov-2023

8-संस्था के अंग:- (क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(क) साधारण सभा:-

(अ) गठन - सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

(ब) बैठकें - सामान्य बैठक वर्ष में 4 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अधि - सामान्य बैठक हेतु 100 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 100 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(द) गणपूर्ति - बैठक हेतु 100% सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(घ) विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि - विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा की बैठक में 100% बहुमत से तय की जायेगी।

(र) साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय-व्यय का अनुमोदन करना।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति:-

(अ) गठन - साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। इसमें सदस्य होंगे।

(ब) बैठकें - सामान्य बैठक वर्ष में 4 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

about blank

नय प्रतिपाल

2/3

डिप्टी रजिस्ट्रार,
नय सांसाईटोड एवं बिदल,
बलमोडा।